न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम् सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

जमानत आवेदन सं0– 281/2026

नौतन थाना कांड सं0–69/2026 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 109, 352, 351(2), 351(3),3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 आर्म्स एक्ट

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

भोला सिंह उर्फ भोला राव उर्फ अनुज प्रसाद उर्फ अनुज प्रताप राय..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार राज्य, द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थित– श्री विकाश कुमार पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता, काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से
श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

26.03.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त भोला सिंह उर्फ भोला राव उर्फ अनुज प्रसाद उर्फ अनुज प्रताप राय की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन, नौतन थाना कांड संख्या 69/2026, अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 109, 352, 351(2), 351(3),3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दाखिल किया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त दिनांक 24.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन संचालित किया गया। काराधीन आवेदक/अभियुक्त भोला सिंह उर्फ भोला राव उर्फ अनुज प्रसाद उर्फ अनुज प्रताप राय के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचक हृदया नंद पटेल के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक यह है कि सूचक दिनांक 20.02.2026 को समय करीब 07:30 बजे संध्या में सूचक का बेटा गॉव के दुकान पर अण्डा खा रहा था तभी सूचक के ही गॉव का युवक प्रवीण कुमार उर्फ विधायक अण्डा खाने के दौरान उसके साथ गाली–गलौज कर रहा था। ऐसा करने से सूचक ने मना किया तो उसके साथ झगड़ा करने लगा तभी प्रवीण कुमार उर्फ विधायक सूचक को धमकी देने लगा कि वे लोग उसे जान से मरवा देंगे। सूचक अपने दरवाजा पर बैठा था तभी पांच बाईक से दस से बारह की संख्या में कुछ लड़के आये और उसके घर के सामने बाईक रोक कर उसके तरफ इशारा करते हुए सूचक के बेटा पर जान मारने की नियत से बंदूक से फायरिंग कर दिये तो उसके बेटे के पास से गोली निकली तभी सूचक का बेटा जमीन पर गिर गया। गोली चलाने वाले का नाम भोला सिंह उर्फ अनुज प्रसाद है। इसके साथ प्रवीन कुमार उर्फ विधायक, मंजीत मांझी, अमित यादव, विवेक यादव, बबन यादव एवं चार–पांच अज्ञात लोग है जिनका नाम सूचक नहीं जनता पर उनको चेहरा से पहचान सकता है। सभी लोग हाथ में रड़, हॉकी लिए हुए थे। जैसे ही भोला उर्फ अनुज राय सूचक के बेटे पर चलाया तभी वो जमीन पर गिर गया तब सूचक को लगा कि उसके बेटे को गोली लगी है। जैसे ही सूचक दौड़कर अपने बेटा के पास गया तो भोला उर्फ अनुज राय एवं उसके साथ एक और फायरिंग करते हुए उत्तर प्रदेश की भाग गये। सभी अभियुक्त लोग अपराधिक प्रकृति के है।

काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि काराधीन अभियुक्त आवेदक दिनांक 24.02.2026 से कारा में है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की

लगातार
26.03.2026

ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है उसे झूठा मुकद्मा में फंसाया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक मुकद्मा दर्ज है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन कहानी पूर्णतयाः झूठा, मनगढ़ंत और निराधार है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के सचेतन कब्जे से या घटनास्थल से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः जमानत आवेदन को स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के विरोध में यह निवेदन किया गया कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध सूचक एवं उसके बेटा पर आग्नेयाशस्त्र से फायरिंग करने का अभियोग है। अतः जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, नौतन थाना कांड संख्या 69/2026, अंतर्गत धारा धारा–126(2), 115(2), 109, 352, 351(2), 351(3),3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 आर्म्स एक्ट, काराधीन आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक एवं उसके बेटा के साथ गाली–गलौज कर आग्नेयाशस्त्र से फायरिंग करने के अपराध के लिए संस्थित किया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है तथा अनुसंधान के क्रम में अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य के क्रम में तथाकथित घटना का समर्थन किया है। (कांड दैनिकी की कंडिका 05,06 में वर्णित)। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कई अन्य आपराधिक वाद दर्ज है(कांड दैनिकी की कंडिका 27, 50 में वर्णित)। प्रस्तुत आपराधिक वाद के संदर्भ में अभी अनुसंधान जारी है।

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में अपराध की गंभीरता को देखते हुए काराधीन आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्आलोक में आवेदक/अभियुक्त भोला सिंह उर्फ भोला राव उर्फ अनुज प्रसाद उर्फ अनुज प्रताप राय की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पत्र को इस सम्प्रेक्षण के साथ अस्वीकृत किया जाता है काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण होने/आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात् वे जमानत का नवीनकरण कर सकते हैं।

लेखापित
ह0/–
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सिवान।